

लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर भोपाल

RFP/ क्रं/CMR/311

भोपाल, दिनांक – 08.06.2023

सीएम राइज़ योजनांतर्गत आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु ई-निविदा

1. लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत संचालित सीएम राइज़ स्कूल योजना में कार्यरत अधिकारियों, स्कूल लीडर्स आदि के समय-समय पर आयोजित होने वाले आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण स्थल, आवास एवं भोजन व्यवस्थाओं हेतु भोपाल में स्थित शासकीय संस्थान/स्वायत्तशासी संस्था/अशासकीय संस्थान/होटल से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा क्रमांक एवं दिनांक	CMR/311 दिनांक 08.06.2023
निविदा आरंभ होने की तिथि एवं समय	09.06.2023, 05:00pm
निविदा समाप्त होने की तिथि एवं समय	23.06.2023, 05:00pm
प्री-बिड की तिथि समय एवं स्थान	दिनांक- 14.06.2023 समय- अपरान्ह 4:00 बजे स्थान- सीएम राइज़ कार्यालय, विज्ञान भवन मा.शि.म. परिसर भोपाल का मीटिंग हॉल
टेक्निकल बिड ओपन करने की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक- 26.06.2023 समय- अपरान्ह 12:00 बजे स्थान- सीएम राइज़ कार्यालय, विज्ञान भवन मा.शि.म. परिसर भोपाल का मीटिंग हॉल
संपर्क सूत्र	9424979942
ई-मेल	cmrise@vimarsh.mp.gov.in
बिड की वैधता	90 दिवस
निविदा शुल्क	1000 / -
वित्तीय बिड ओपन करने की तिथि, समय एवं स्थान	पृथक से सूचित किया जायेगा।

ई-निविदा प्रपत्र भरने के सामान्य निर्देश

1.1 निविदाकर्ता के पास न्यूनतम 100 व्यक्तियों आवास व्यवस्था हेतु न्यूनतम 50 एयर कंडीशन्ड डबल बैड एवं अटैच लेट-बाथ युक्त कक्ष एक ही परिसर में उपलब्ध हो एवं सर्विस हेतु पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध हो।

1.2 स्वायत्तशासी संस्था/अशासकीय संस्थान/होटल होने की स्थिति में प्रशिक्षण स्थल के परिसर का मालिकाना हक होने अथवा किराये पर संचालित किये जाने की स्थिति में स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट की प्रति हो जिसमें न्यूनतम 2 वर्ष के लिये जीवित अनुबंध किया गया हो तथा किसी भी प्रकार का विवाद न हो (इस आशय का प्रमाण तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा)।

1.3 क्लस्टर सिटिंग में न्यूनतम 50 व्यक्तियों की बैठक क्षमता वाले 2 एयर कंडीशन्ड प्रशिक्षण हॉल उपलब्ध हो, जिसमें 9 राउंड टेबल आसानी से रखी जा सकें एवं इनके मध्य आवागमन हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो।

- 1.4 प्रत्येक हॉल में न्यूनतम एक पोडियम, दो माइक, दो स्पीकर एवं एक एलसीडी प्रोजेक्टर उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से भुगतान देय नहीं होगा।
- 1.5 RO युक्त शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध हो।
- 1.6 जनरेटर एवं कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा उपलब्ध हो।
- 1.7 पार्किंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो।
- 1.8 परिसर में लंच, डिनर एवं चाय नाश्ता हेतु पृथक से पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो, लंच/डिनर की व्यवस्था Buffet System में किया जाना होगा।

2. तकनीकी प्रस्ताव, वित्तीय प्रस्ताव एवं नियम शर्तें :-

- 2.1 शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी उपक्रम, निजी संस्थान एवं होटल जिनके पास उपरोक्तानुसार सुविधाएं उपलब्ध हो वे ई-निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।
- 2.2 स्वायत्तशासी उपक्रम, निजी संस्थान एवं होटल को परिसर का मालिकाना हक हो अथवा किराये की स्थिति में स्टाम्प पेपर पर जीवित एग्रीमेंट होना अनिवार्य है, ऐसे निविदाकार ही उक्त ई-निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।
- 2.3 तकनीकी बिड के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 1.00 लाख (एक लाख मात्र) ऑनलाईन जमा करना होगा। जमा की पुष्टि हेतु दस्तावेज तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा। यह राशि ऑनलाईन <https://mptenders-gov-in/> के माध्यम से जमा होगी।
- 2.4 निविदाकार का गत तीन वर्षों (2020-21, 2021-2022, 2022-23) की बैलेंसशीट में कुल टर्नओवर न्यूनतम रु. 50 लाख (रु. पचास लाख मात्र) होना चाहिये, जिसकी पुष्टि हेतु सी.ए. द्वारा प्रमाणित एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज (सत्यापित प्रतियों सहित) तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 2.5 निविदाकर्ता को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल कार्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो, इस आशय का प्रमाण पत्र तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 2.6 निविदाकर्ता एजेंसी के बैंक खाते की जानकारी तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 निविदाकर्ता को अपने पैनकार्ड की प्रति को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 2.8 निविदाकर्ता का एसजीएसटी/सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।
- 2.9 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-23 में जमा की गई एसजीएसटी/सीजीएसटी की पावती को तकनीकी बिड में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।



2.10 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-22 की आयकर विवरणी जो कि आयकर विभाग में जमा की गई हो कि पावती पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।

2.11 निविदाकार एजेन्सी को स्व-सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। सत्यापित प्रतिलिपियां असत्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसकी धरोहर राशि राजसात की जाकर यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

2.12 तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत अनुसार समस्त अर्हता पाए जाने पर ही संबंधित एजेन्सी का वित्तीय बिड खोला जावेगा।

2.13 ई-निविदा प्रपत्र सफल निविदाकार से अनुबंध का एक भाग होगा एवं इसकी समस्त शर्तें अनुबंध में शामिल मानी जाएंगी।

2.14 ई-निविदा प्रपत्र एमपी टेंडर्स की साइट से रुपये 1000.00 (रु. एक हजार मात्र) ऑनलाईन जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।

2.15 तकनीकी बिड में पात्र पाए जाने वाली एजेंसी/संस्थान/होटल द्वारा बिड में दी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से करवाया जाएगा। भौतिक सत्यापन में बिड की अर्हता पूर्ण करने वाली एजेंसी/संस्थान/होटल की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। भौतिक सत्यापन के दौरान जानकारी गलत पाए जाने पर संबंधित एजेंसी/संस्थान/होटल की निविदा अमान्य करते हुए धरोहर राशि को राजसात किया जा सकेगा। इस हेतु आयुक्त लोक शिक्षण का निर्णय मान्य होगा।

2.16 आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी ई-निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सके।

2.17 निविदा प्रपत्र-अ में तकनीकी जानकारी तथा प्रपत्र-ब में वित्तीय जानकारी पृथक-पृथक देना अनिवार्य है।

2.18 निविदाकर्ताओं की दरें एक समान होने की स्थिति में जिस संस्था का तीन वर्षों का कुल टर्नओवर अधिक होगा, उसको पात्र माना जायेगा। इस हेतु समिति का निर्णय मान्य होगा।

2.19 कार्यशाला/प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है या लंच/डिनर/आवास व्यवस्था में किसी भी प्रकार की शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर कुल देयक के 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड स्वरूप वसूली योग्य होगा। इसके अतिरिक्त एजेंसी/संस्थान/होटल की लगातार 3 बार शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एजेंसी/संस्थान/होटल के साथ अनुबंध समाप्त करते हुए ब्लेकलिस्टेड किया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि को राजसात कर लिया जायेगा।

2.20 यह निविदा कार्यादेश दिनांक से आगामी दो वर्ष के लिये मान्य होगी। नवीन दर निर्धारित होने तक अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन एजेन्सी को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

dr

2.21 संबंधित को संचालनालय द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला/प्रशिक्षण के आयोजन की सूचना 15 दिवस पूर्व दी जावेगी, जिसमें फर्म को समस्त आवासीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2.22 संस्थान/एजेन्सी/होटल द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय में प्रस्तुत किये गये देयक में से नियमानुसार टीडीएस कटौती कर भुगतान किया जावेगा। जीएसटी एवं अन्य टैक्स प्रावधानित होंगे। संस्था इस राशि को पृथक से इंगित करे जिनका भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।

2.23 कार्यादेश में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों की निश्चित संख्या का उल्लेख किया जाएगा, कार्यादेश में उल्लेखित संख्या से कम प्रतिभागियों की उपस्थिति पर निश्चित संख्या के मान से भुगतान किया जाएगा एवं उल्लेखित संख्या से अधिक प्रतिभागी उपस्थित होने पर प्रति प्रतिभागी हेतु निर्धारित दर के मान से भुगतान किया जाएगा।

2.24 मेन्यू अनुसार गुणवत्ता पूर्ण सुबह की चाय/नाश्ता/दोपहर का भोजन/दोपहर की चाय एवं रात्रि के भोजन की व्यवस्था परिसर में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

2.25 वित्तीय बिड प्रपत्र में प्रतिदिन का हॉल किराया (न्यूनतम 50 व्यक्ति प्रति हॉल), प्रति व्यक्ति आवास व्यवस्था चाय, ब्रेकफास्ट, लंच एवं डिनर हेतु पृथक-पृथक दरें प्राप्त की जा रही है, इन सबके प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के कुल व्यय से ही L-1 फर्म का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी फर्म द्वारा हॉल किराए की दर रुपये 10000 वित्तीय बिड में दी जाती है तो प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की गणना $10000 \div 50$ अर्थात् रुपये 200 मान्य की जाएगी।

2.26 तकनीकी बिड में दस्तावेजों को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत अनुसार समस्त अर्हता पाए जाने पर ही संबंधित एजेन्सी का वित्तीय बिड खोला जावेगा।

2.27 निविदा कार्य से संबंधित अनुबंध के अनुसार कार्य/उत्तरदायित्वों के निष्पादन में किसी भी तरह की समस्या अथवा विवाद, उत्पन्न होने की स्थिति में आयुक्त लोक शिक्षण म. प्र. का निर्णय मान्य होगा।

2.28 सभी विवादों के निराकरण का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय, भोपाल होगा।

आधुन द्वारा अडमोडर


संचालक

लोक शिक्षण म.प्र.

तकनीकी प्रस्ताव

क्र.	विवरण	जानकारी	संलग्न दस्तावेज
1	निविदाकार संस्था/एजेन्सी का नाम		
2	निविदाकार संस्था/एजेन्सी के प्रमुख/मालिक का नाम		
3	पूरा पता		
4	मोबाइल क्रमांक एवं दूरभाष क्रमांक		
5	ई-मेल पता		
6	तकनीकी बिड के साथ धरोहर राशि के रूप में रुपये 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज ।		
7	निविदाकार संस्था/एजेन्सी का गत तीन वर्षों का बैलेंस शीट में कुल टर्न ओवर न्यूनतम रु. 50 लाख की पुष्टि हेतु सी.ए. द्वारा प्रमाणित एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज ।		
8	निविदाकर्ता एजेन्सी को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशास./निगम/मण्डल कार्यालयों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ब्लेकलिस्टेड अथवा ब्लेकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो, इस आशय का प्रमाण पत्र ।		
9	निविदाकर्ता संस्था/एजेन्सी के बैंक खाते की जानकारी को पीडीएफ फार्मेट में ।		
10	पैनकार्ड की प्रति को पीडीएफ फार्मेट ।		
11	निविदाकर्ता का जीएसटी/सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड कर प्रस्तुत करना होगा।		
12	निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 में जमा की गई जीएसटी/सीजीएसटी की पावती (पीडीएफ फार्मेट)		
13	निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में जमा की गई आयकर विवरणी की पावती (पीडीएफ फार्मेट)		
14	परिसर का मालिकाना हक के दस्तावेज.		
15	सिक््युरिटी गार्ड एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधायुक्त है का प्रमाण		

16	आवास की क्षमता		
17	एसी- प्रशिक्षण हॉल की संख्या – पोडियम, माइक, स्पीकर एवं एलसीडी प्रोजेक्टर सहित		
18	निविदाकर्ता एजेन्सी का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर		

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम:

पदमुद्रा:

वित्तीय प्रस्ताव

क्र.	विवरण	दर (राशि रुपये में) जीएसटी छोड़कर
1	ए.सी. हाल का किराया प्रतिदिन	
2	ए.सी. डबल बैड रूम का प्रतिदिन का किराया	
3	सुबह का चाय/कॉफी एवं नाश्ता, कटलेट, ब्रेड पकोड़ा, सांभर बड़ा, इडली सांभर, उत्तपम, उपमा, प्याज पकोड़ा, पोहा-जलेबी में से कोई दो -प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	
4	लंच:- सलाद, पापड़, आचार, दो प्रकार की सब्जी (एक पनीरयुक्त एवं एक सीजनल), दाल फ्राई, जीरा-राइस, दहीबड़ा/रायता, तवा रोटी, एक प्रकार की मिठाई (गुलाबजामुन/गाजर का हल्वा/मूंग दाल का हल्वा/रसमलाई/आइसक्रीम/खीर/कस्टर्ड) एवं पानी 200ml की बॉटल में - प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	
5	चाय:-प्रातः 11:00 बजे- चाय, कॉफी एवं कुकीज़ अपराह्न 04:00 बजे- चाय, कॉफी एवं कुकीज़	
6	डिनर :-सलाद, पापड़, आचार, दो प्रकार की वेज सब्जी(लंच में उपलब्ध कराई गई सब्जियों से भिन्न), दाल फ्राई, राइस, दहीबड़ा/रायता, तवा रोटी, एक प्रकार की मिठाई (लंच में उपलब्ध कराई गई मिठाई से भिन्न) एवं पानी 200ml की बॉटल में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम:

पदमुद्रा: